हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र.न. = 01/2018 खाद्य सुरक्षा बनाम सुमेरसिंह	
14/6/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/6/22 को पेश हो अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
20/6/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उप। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28/6/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अधिवक्ता अनावेदक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि बस स्टेण्ड मेहाड़ा, झुन्झुनू में उसके मुवक्किल की मै0 गहलावत ऑयल एण्ड फ्लोर मील के नाम से फर्म कर रखी है जहां वह किसानो द्वारा लाई गई सरसों का तेल निकाल कर देता है। अनावेदक तेल की बिक्री नही करता है। उसके यहां से सैम्पल लिया गया सरसों तेल बेचान का ना होकर किसी काश्तकार द्वारा निकलवाया गया था। उसने अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1348/एक्ट/2017/1415/दिनांक 23.06.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल सब–स्टेण्डर्ड **(Sub-Standard)** पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 गहलावत ऑयल एण्ड फ्लोर मिल में खुला मस्टर्ड ऑयल बेचता है अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल के सब–स्टेण्डर्ड **(Sub-Standard)** पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री दुलीचन्द, मै0 गहलावत ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, बस स्टेण्ड के पास मेहाड़ा, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 4000/– चार हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये च[illegible] जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को भिजवा[illegible] आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नंबर से कम हो तथा तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:53:00 IST
Reason: SelfAttested